2014/00248

43

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कौलारी)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–99/2014

1–बाबू पुत्रश्री नाथूराम जाति लोधा निवीस ग्राम सिंघोरा तहसील सैपउ जिला धौलपुर।

———————वादी

बनाम

1–रामस्वरूप पुत्रश्री नाथूराम 2–हरीचन्द 3–श्रीनिवास पुत्रगण श्री रामप्रसाद 4–भगवत 5–विजेन्द्र 6–वृजेशकुमार 7–विनोदकुमार पुत्रगण श्री लज्जाराम 8–वरफो पत्नी स्व0 श्री लज्जाराम जाति लोध निवासी ग्राम सिंघोरा पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
9–फूलनदेवी पुत्री लज्जाराम पत्नी केदारसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम वादरपुर तहसील व जिला धौलपुर
10–गांगो पुत्री लज्जाराम पत्नी विशम्भर जाति लोधा निवासी ग्राम वादरपुर तहसील व जिला धौलपुर
11–ओमवती पुत्री लज्जाराम पत्नी छीतरिया निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर
12– पंजाब नेशलनल बैंक शाखा प्रबन्धक बसईनबाव तामील जरिये प्रबन्धक
13–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

——— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निशेघाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री बाबू – वादी
2–रामस्वरूप वगैरा– प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 4.7.2017**

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा 58, 59, 64, 65, 66, 71, 514, 615, 939/57, 989/613, 558 स्थित ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया गया । पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 16.5.2017 को दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड तथा पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1—बाबू पुत्रश्री नाथू जाति लोधा निवासी सिंघोरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	58	1.08	
	65/1	0.17	पश्चिम दिशा
	989/613/2	0.14	दक्षिण दिशा
	939/57/2	0.02	दक्षिण पश्चिम दिशा
	558/5	0.05	पूर्वी उत्तरी कॉर्नर
	558/7	0.14	पूर्वी दक्षिणी मध्य
	558/10	0.07	पश्चिम दक्षिणी मध्य
कुल	07	4.07	

2—रामस्वरूप पुत्रश्री नाथू जाति लोधा निवासी सिंघोरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	59	1.07	
	65/2	0.18	पूरव दिशा
	615/1	0.14	उत्तर दिशा
	939/57/3	0.02	दक्षिण पूरव कॉर्नर
	558/4	0.05	मध्य पूरव उत्तर दिशा
	558/8	0.14	पश्चिम दक्षिणी मध्य
	558/9	0.07	पश्चिम दक्षिणी कॉर्नर
कुल	07	4.07	

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत

3—हरीचन्द व श्रीनिवास पुत्रगण रामप्रसाद जाति लोधा निवासी सिंघोरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	66	1.09	
	615/2	0.15	दक्षिण दिशा
	939/57/1	0.18	उत्तर दिशा
	558/3	0.05	उत्तर पश्चिम मध्य
	558/2	0.14	पश्चिम मध्य
	558/11	0.06	दक्षिण पूरव मध्य
कुल	06	4.07	

4—भगवत, विजेन्द्र, वृजेशकुमार, विनोदकुमार, पुत्रगण व बरफी पत्नी तथा फूलनदेवी, गंगो, ओमवती पुत्रीयान पिसरान लज्जाराम जाति लोधा निवासी सिंघोरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1	64	1.01	
	71	1.05	
	989/613/1	0.15	उत्तर दिशा
	558/1	0.05	उत्तर पश्चिमी कॉर्नर
	558/6	0.14	उत्तर पूरंव मध्य
	558/12	0.07	दक्षिण पूरव कॉर्नर
कुल	06	4.07	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ